FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

अपीलान्ट्स	**बनाम**	**रेस्पोडेन्टगण**
1. गोरधनराम पुत्र स्व0 मानाराम जाति जाट निवासी बांसा तहसील डीडवाना, जिला नागौर वगैरह		1. हरिकिशन पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी बांसा तहसील डीडवाना जिला नागौर वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व अपील **संख्या** 72 **सन्** 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16-8-21	वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 75(डी) राजस्थान–भू राजस्व अधिनियम के तहत मिसल संख्या–3999/67 ग्राम बासा, तहसील डीडवाना जिला नागौर प्रकरण में सहायक रेकर्ड ऑफिसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.04.1967 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 04.08.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को सुनवाई हेतु ग्राहय के बिन्दु पर वकील अपीलान्ट को आज सुना गया। वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया कि हस्तगत प्रकरण में सहायक रेकर्ड ऑफिसर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्थान–भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(डी) के तहत राजस्व न्यायालय या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश की, भूमि अभिलेख अधिकारी (कलक्टर) को अपील प्रस्तुत करने के प्रावधान है। वकील अपीलान्ट ने उक्त अधिनियम की धारा–181 के प्रावधान के संबंध में कथन किया कि किसी क्षेत्र में जब बन्दोबस्त कार्य धारा 148 के अधीन अधिसूचना द्वारा बंद कर दिये जाये तब बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष लम्बित समस्त आवेदन और कार्यवाहियां जब तक कि उस क्षेत्र के लिए स्थायी बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त न हो जाये कलेक्टर को अन्तरित कर दी जाये जिसे उनके निपटारे के लिए बन्दोबस्त अधिकारी को समस्त शक्तियां प्राप्त होगी। इसलिए उक्त प्रावधान के तहत भी हस्तगत अपील में न्यायालय हाजा के सुनवाई के क्षेत्राधिकार की होने का कथन करते हुए हस्तगत अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार कर दर्ज रजिस्टर करने का निवेदन किया। इसके अलावा वकील अपीलान्ट द्वारा आर.आर.डी. 1999 पेज 384–386 प्रस्तुत कर कथन किया है कि यदि न्यायालय हाजा द्वारा हस्तगत प्रस्तुत अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होना मानता है, तो मूल अपील अपीलान्ट को समक्ष न्यायालय के सम्मुख अपील प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जाने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। रिकार्ड का अवलोकन किया। उक्त संबंध [illegible] भू–राजस्व अधिनियम 1956 का अवलोकन किया। प[illegible] अपील प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम [illegible] 75 [illegible] है। अधिनियम धारा 75(डी) इस प्रकार है– *"राजस्व [illegible]लय या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश की, भूमि अभिलेख अधिकारी को"*। उक्त अधिनियम की धारा [illegible] में भूमि अभिलेख अधिकारी को परिभाषित किया गया है कि– *"भूमि अभिलेख अधिकारी" से कलेक्टर अभिप्रेत है और इसमें अपर या सहायक भूमि अभिलेख अधिकारी सम्मिलित है।* अधिनियम की धारा 75(डी) के प्रावधान अनुसार राजस्व न्यायालय या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश की अपील भूमि अभिलेख अधिकारी को प्रस्तुत करने का प्रावधान है, परन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सहायक रिकार्ड	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:35:48 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16-8-21 लगातार	ऑफिसर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई और धारा 3(1) के अनुसार कलक्टर भूमि अभिलेख अधिकारी है, जिसमें अपर या सहायक भूमि अभिलेख अधिकारी सम्मिलित है। इससे स्पष्ट है कि सहायक भूमि अभिलेख अधिकारी जिसके आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है वह राजस्व न्यायालय या भूमि अभिलेख अधिकारी का अधिनस्थ अधिकारी नहीं होकर इस अपीलाधीन आदेश के समकक्ष अधिकारी माना गया है।	

वकील अपीलान्ट द्वारा अधिनियम की धारा 181 के संबंध में किये गये कथन के संबंध में धारा 181 का अवलोकन किया जो इस प्रकार है– *"बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन और कार्यवाहियां जबकि कार्य बन्द हो जाये– किसी क्षेत्र में जब बन्दोबस्त कार्य धारा 148 के अधीन अधिसूचना द्वारा बंद कर दिये जाये तब बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष लम्बित समस्त आवेदन और कार्यवाहियां जब तक कि उस क्षेत्र के लिए स्थायी बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त न हो जाये कलेक्टर को अन्तरित कर दी जाये जिसे उनके निपटारे के लिए बन्दोबस्त अधिकारी को समस्त शक्तियां प्राप्त होगी।"* उक्त प्रावधान से स्पष्ट कि जब किसी क्षेत्र बन्दोबस्त कार्य बन्द हो जाने पर और स्थायी बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त नहीं होने पर बन्दोबस्त से संबंधित आवेदन और कार्यवाहियां उनके निपटारे हेतु कलक्टर को अंतरित कर दी जावेगी और कलेक्टर को बन्दोबस्त अधिकारी की समस्त शक्तियां प्राप्त होगी। इसके अलावा अधिनियम की धारा 3(4) में बन्दोबस्त अधिकारी में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी भी सम्मिलित है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की गई है बल्कि हस्तगत अपील सहायक रेकार्ड ऑफिसर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा उक्त प्रावधान में सहायक रेकार्ड आफिसर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हस्तगत मामले में अधिनियम की धारा 181 के प्रावधान लागू नहीं होते है।

इसके अतिरिक्त भूमि अभिलेख से संबंधित मामलों में भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील के संबंध में अधिनियम की धारा 75(एफ) में प्रावधान किया गया है कि– *"भूमि अभिलेख से संबंधित मामलों में भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश की, भूमि अभिलेख(आयुक्त) को"* इस प्रकार अधिनियम की धारा 75(एफ) के अनुसार भूमि अभिलेख से संबंधित मामलों में भूमि अभिलेख अधिकारी (धारा–3(1) के अनुसार भूमि अभिलेख अधिकारी में सहायक भूमि अभिलेख अधिकारी सम्मिलित है) द्वारा पारित आदेश की अपील भूमि अभिलेख(आयुक्त) को किये जाने के प्रावधान है।

वकील अपीलान्ट द्वारा आर.आर.डी. 1999 पेज 384–386 प्रस्तुत कर कथन किया है कि यदि न्यायालय हाजा द्वारा हस्तगत प्रस्तुत अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होना मानता है, तो मूल अपील अपीलान्ट को समक्ष न्यायालय के सम्मुख अपील प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जाने का निवेदन किया।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। अतः अपील दर्ज कर वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल अपील वकील अपीलान्ट को लौटाई जावे। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। प्रकरण फैसल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही के बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

मूल अपील मय संपूर्ण दस्तावेजों के प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:35:48 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर, नागौर